<u>नेशनल लोक–अदालत खण्डपीठ क्रमांक–19 पामगढ़ (छ.ग.)</u>

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधि० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर द्वारा आयोजित)

(नेशनल लोक–अदालत की तिथि 13.09.2025)

1. **न्यायिक अधिकारी** :– **श्रीमती शीलू केसरी**
2. **प्रकरण क्रमांक** :– 1041/2022
3. **पक्षकारो के नाम** :– छ.ग. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पामगढ़
   जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.) ..... **अभियोगी**

विरूद्ध

1. उमाशंकर गौरहा, पिता–कोदूराम, उम्र 73 वर्ष,
2. मनोज गौरहा, पिता–उमाशंकर गौरहा, उम्र–48 वर्ष,
3. शुभम गौरहा, पिता–उमाशंकर गौरहा, उम्र–25 वर्ष,

तीनों निवासी ग्राम–भैंसो, थाना–पामगढ़,
जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.) ..... **अभियुक्तगण**

<u>अधिनिर्णय/आदेश</u>

प्रकरण में आरोपीगण उमाशंकर गौरहा, मनोज गौरहा एवं शुभम गौरहा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 506(भाग–दो) सहपठित धारा 34 के तहत् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी अग्नि सिंह द्वारा राजीनामा हेतु संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन पेश कर स्वेच्छया राजीनामा करना व्यक्त किया गया ।

प्रकरण में उभय पक्षों ने स्वेच्छया बिना किसी डर, दबाव, लालच के राजीनामा किया जाना स्वीकार किया है । अतः आरोपीगण उमाशंकर गौरहा, मनोज गौरहा एवं शुभम गौरहा को राजीनामा के

आधार पर **भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 506(भाग–दो) सहपठित धारा 34** के आरोप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(8) के तहत् दोषमुक्त किया जाता है ।

आरोपीगण के नियमित जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है ।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण समाप्त ।

परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार जमा किया जावे ।

स्थान :– पामगढ़, जिला–जांजगीर–चाम्पा(छ.ग.)
दिनांक :– 13.09.2025

सही/–
(श्रीमती शीलू केसरी)
पीठासीन अधिकारी, खंडपीठ क्रमांक 19
नेशनल लोक अदालत, पामगढ़ (छ.ग.)

सही/–
सदस्य क्र० 1